क्रेडिट संवर्धन की गारंटी की नीति

1. उद्देश्य

इस सुविधा में किसी बिजली परियोजना एसपीवी/धारक कंपनी द्वारा घरेलू बाजार में जारी बांडों को क्रेडिट संवर्धन प्रदान किया जाएगा। यह प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर बिजली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बांड बाजार के माध्यम से बीमा और पेंशन जैसे संस्थागत निवेशकों से लंबी अवधि के लिए बिजली परियोजनाओं (अन्य कार्यशील पूंजी की परियोजनाओं के अलावा) के लिए फंड को माध्यम बनाने में मदद देगा।

पीसीजी इन बांड की रेटिंग को एए स्तर तक बढ़ाएगा जो घरेलू निवेशकों को एए की क्रेडिट रेटिंग वाले क्रेडिट संवर्धन बांड में निवेश करने की सुविधा प्रदान करेगा।

2. पात्रता

इकाई के मानदंड

क) निजी क्षेत्र के उधारकर्ता जो विद्युत उत्पादन के कारोबार में जो लगे हुए हैं.

ख) उधारकर्ता एक धारक एजेंजी/एसपीवी हो सकता है जो अपनी बैलेंस शीट या अपनी सहायक कंपनियों (जैसाकि कंपनी अधिनियम 1956 में परिभाषित किया गया है) के माध्यम से भारत में विद्युत क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना के व्यापार में, आरओसी के साथ भारत में विधिवत पंजीकृत हो।

ग) प्रस्तावित जारी किए जाने वाले बांड को सेबी / आरबीआई के साथ पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से 'ए (जमा/ऋण) स्थिर' की न्यूनतम वर्तमान क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। ऐसी रेटिंग वर्तमान में वैध होनी चाहिए।

घ) उधारकर्ता अर्थात एसपीवी / धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जिसका ऋण फिर से वित्त पोषण किया जा रहा है,को आवेदन की तारीख को पीएफसी / बैंकों / वित्तीय संस्थाओं की चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

च) इसके अलावा, उधारकर्ता और इसकी समूह कंपनियां गारंटी जारी होने के समय पीएफसी की चूककर्ता के रूप में नहीं होगी।

छ) प्रस्तावित बांडों / डिबेंचरों को थोक ऋण बाजार खंड में एनएसई / बीएसई के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और इन्हें निजी तौर पर रखा जाएगा।

परियोजना मानदंड

क) क्रेडिट संवर्धन उन मामलों में दिया जाएगा जहां बांड मूल्य को वाणिज्यिक ऑपरेशन की तारीख (सीओडी) के अनुभव के कम से कम 3 महीने के बाद वाणिज्यिक परिचालन के अंतर्गत परियोजनाओं के लंबी अवधि के ऋण की पुनर्वित्त के लिए उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित हो।

ख) जिस परियोजना के लिए बांड मूल्य का उपयोग करना प्रस्तावित है उसके बिल नियत तारीख से परे अधिक से अधिक 90 दिनों के लिए देय और बकाया नहीं हों।

ग) जिस परियोजना के लिए बांड मूल्य का उपयोग करने का प्रस्ताव है उसे पीएफसी की संतुष्टि के अनुसार ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) और विद्युत खरीद करार अथवा अन्य स्वीकार्य विद्युत विक्रय व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में परियोजना की आवश्यकताओं / गुण दोष के आधार पर विचार करने के बाद एफएसए की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जाएगा.

घ) जिस परियोजना के लिए बांड मूल्य का उपयोग करने का प्रस्ताव है उसका ऋण/इक्विटी अनुपात 75:25 होना चाहिए।

अन्य मानदंड

क) उधारदाताओं के साथ परियोजना ऋण का विवरण जिन्हें बांड जारी करने के माध्यम से पुन: वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है, पीसीजी के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ख) बॉन्ड के माध्यम से जुटाए जाने के लिए प्रस्तावित राशि पुन: वित्त पोषित की जाने वाली प्रस्तावित ऋण राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

ग) मौजूदा उधारदाताओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाएगा जिसमें ऋण के परिपक्व पूर्व चुकौती की स्वीकृति और और पीएफसी के पक्ष में शुल्क के सीडिंग का उल्लेख होगा । ऐसा अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित से प्राप्त किया जाएगा-

- पीसीजी के आवेदनपत्र के साथ अग्रणी उधारदाता (उधारदाताओं)।
- पीसीजी के जारी होने से पहले सभी उधारदाता ।

3. रेटिंग

एकीकृत रेटिंग (आईआर) पीएफसी की लागू रेटिंग पद्धति के अनुसार की जाएगी।

4. बॉण्ड मूल्य का उपयोग

बॉन्ड आय ,जिसके लिए पी एफ सी , पीसीजी प्रदान करेगा,का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

क) बैंकों / वित्तीय संस्था से मौजूदा लंबी अवधि के ऋण को आंशिक या पूर्ण रूप में पुनर्वित्त करना।

ख) प्रस्तावित पुनर्वित्त राशि में मूलधन, ब्याज और पूर्व भुगतान प्रीमियम को शामिल कर सकते हैं।

उधारकर्ता बांड के आवंटन की तारीख से 1 महीने के अंदर अपने ऋण की चुकौती की पुष्टि करते हुए पीएफसी को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. सहायता की सीमा

क) मूलधन के भुगतान और ब्याज के भुगतान के लिए पीसीजी ऋण मोचन /परिपक्वता तक इन बांडों पर भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि सहित बांड के प्रस्तावित जारी आकार के 25% से अधिक नहीं होगा, लेकिन यदि बांडों को पूरी तरह अंशदान और आवंटित नहीं किया जाता तो पीएफसी द्वारा जारी पीसीजी को अंशदान न देने वाली राशि द्वारा समानुपाती रूप से घटा दिया जाएगा।

ख) पीएफसी द्वारा विस्तारित पीसीजी को कुल बांड बकाया बांडों में कमी अर्थात बांड की चुकौती और ऋण मोचन और ब्याज के भुगतान में कमी के साथ सामानुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।

ग) पीसीजी की चूक /वृद्धि के समय में पीएफसी कुल चूक राशि (केवल मूलधन और ब्याज और कोई अन्य प्रभार शामिल नहीं किया जाएगा) अर्थात बांड अंशदान के पीसीजी के अनुपात में सामानुपातिक रूप से देय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

घ) यह राशि (अर्थात केवल मूलधन और ब्याज और इसमें किसी अन्य शुल्क को शामिल नहीं किया जाएगा) जिसके लिए क्रेडिट रेटिंग को ए से एए तक बढ़ाने के लिए पीसीजी दिया जाना है, मुद्दे का मूल्यांकन करने के लिए उधारकर्ता द्वारा नियुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सूचना दी जानी है।

6. पीसीजी की अवधि

क) पीसीजी की अवधि को उस अवधि के साथ जोड़ा जाएगा जिसके लिए बांड जारी किया गया है।

ख) पीसीजी प्रदान करने की अधिकतम अवधि को समय समय पर संशोधित ओपीएस में निर्धारित ऋण चुकाने की अवधि के साथ जोड़ा जाना चाहिए। चूंकि विभिन्न ऋणों का विभिन्न ऋण कार्यकाल हो सकता है , ऊपर्युक्त अधिकतम अवधि को समग्र कैप के लिए रखा जाएगा और पीसीजी की वास्तविक अवधि को बांड की परिपक्वता प्रोफाइल, इसकी ब्याज भुगतान की योजना और इसे मामले दर मामले के आधार पर ऋण की शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

7. प्रतिभूतियां

क) प्राथमिक प्रतिभूतियाँ

- योजना (ओं) की आस्तियों पर पहला समरूप प्रभार । एसपीवी के मामले में परियोजना संपत्ति और धारक कंपनी के मामले में, सहायक कंपनियों की परियोजना परिसंपत्तियों पर शुल्क लिया जाएगा।

नोट: संपत्ति कवरेज अनुपात अवधि के ऋण के लिए मौजूदा नीति के साथ लाइन में होगा। धारक कंपनी के मामले में परिसंपत्ति कवरेज अनुपात की गणना सभी सहायक कंपनियों की उपलब्ध परियोजना संपत्ति पर की जाएगी।

ख) परिसंपत्ति कवरेज अनुपात बनाए रखने के लिए वैकल्पिक प्रतिभूति

यदि परियोजना (ओं) की परिसंपत्ति आवश्यक परिसंपत्ति कवरेज अनुपात संपत्ति कवरेज अनुपात प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो उधारकर्ता की कुछ अन्य परिसंपत्ति पर मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जा

सकता है। हालांकि ऐसी परिसंपत्ति को ऐसी कमी का 3 गुणा कवरेज देना चाहिए।

ग) प्रासंगिक

- परियोजना (ओं) पर ध्यान दिए बिना प्रमोटरों की 26% इक्विटी को पीएफसी के पास गिरवी रखा जाना है ।
- •पीएफसी द्वारा प्रदान पीसीजी के लिए पीएफसी के पक्ष में उधारकर्ता अर्थात धारक कंपनी / एसपीवी की काउंटर गारंटी।

घ) पीएफसी परियोजना बॉन्ड निवेशकों का स्थान लेगा और बांड निवेशकों को पूरा भुगतान करने के बाद लागू गारंटी की सीमा तक समरूप प्रभार लेगा।

च) प्रतिभूति निर्माण के लिए दिया गया समय

- प्रतिभूति के निर्माण के लिए दी गई समय अवधि- 3 महीने के भीतर और बॉन्ड धारकों के लिए प्रतिभूति के निर्माण के बाद नहीं।
- निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रतिभूति का निर्माण न होने पर बकाया पीसीजी राशि पर अतिरिक्त ब्याज ,अर्थात गारंटी शुल्क के अलावा , लिया जाएगा।

8. पीसीजी जारी करने की प्रक्रिया

पीसीजी के प्रस्ताव को फिर से ऋण वित्त पोषण के प्रस्तावों के साथ <u>लाइन</u> में ईआईजी / एफपी इकाई द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

9. गारंटी शुल्क

जैसा कि समय समय पर अधिसूचित किया गया हो।

10. वित्तीय प्रभार

जैसा कि समय समय पर अधिसूचित किया गया है।

11. गारंटी शुल्क का भुगतान

लागू प्रक्रिया के अनुसार अग्रिम में त्रैमासिक।

12. बांड की क्रेडिट रेटिंग

उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पीएफसी द्वारा पीसीजी जारी किए गए बांडों की क्रेडिट रेटिंग का नवीनीकरण/ अभिपुष्ट किया जाएगा और पीएफसी को इसकी सूचना दी जाएगी।

यदि जारी बांडों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में से किसी एक के द्वारा डाउनग्रेड कर दिया गया है तो पीफसी समय-समय पर अधिसूचित किए अनुसार अतिरिक्त गारंटी शुल्क वसूल करेगा। उधारकर्ता को इस संबंध में तिमाही आधार पर सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

13. अन्य शर्तें

- जारी किए जा रहे बॉन्डों की शर्तें, जिनके लिए पीफसी पीसीजी जारी कर रहा है,में वरिष्ठ उधारदाताओं के बराबर परियोजना के टीआरए (धारक कंपनी के मामले में संबंधित सहायक कंपनी के टीआरए)पर पहला समरूप प्रभार होना चाहिए।
- उधारकर्ता के साथ दस्तावेज़ में निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित की जाएंगी:
    - उधारकर्ता अपनी सहमति प्रदान करेगा कि पीएफसी के पास इसके पीसीजी को हानि पर बेचने अथवा किसी अन्य अगेनसी से काउंटर गारंटी प्राप्त करने का विकल्प होगा।
    - मौजूदा परियोजना (ओं) या किसी भी अन्य पूंजी निवेश के और विस्तार के लिए पीएफसी से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।
    - बांड के आवंटन के बाद बांड की शर्तों में पीएफसी के लिखित अनुमोदन के बिना
    - संशोधन/आशोधन नहीं किया जा सकता।
    - पीएफसी को एक पर्यवेक्षक के रूप में बॉन्ड धारकों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा।
    - ट्रस्टी बॉन्ड धारकों की बैठकों की कार्यवाही और बॉन्ड धारकों को भेजी गई सूचना को साझा करेंगे ।
    - उधारकर्ता परियोजना और अपनी वित्तीय स्थिति पर सभी जानकारी पीएफसी के साथ साझा करेंगे।

- जब तक ब्याज सहित सभी प्रभारों के साथ बॉण्ड की चुकौती नहीं हो जाती,उधारकर्ता ऋण/ इक्विटि अनुपात को 75:25 बनाए रखेंगे।

- बांड /डिबेंचर के ट्रस्टी द्वारा बॉण्ड आय के अंतिम उपयोग को मॉनिटर किया जाएगा जिसे सेबी की आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जाना चाहिए ।
- उधारकर्ता बांड आय प्राप्त करने और उधारदाताओं के ऋण की चुकौती के लिए इसके उपयोग हेतु प्रथक निर्धारित बैंक खाता अर्थात बांड संग्रह खाते की स्थापना करेगा।
- जिन बॉन्डों के लिए पीएफसी ,पीसीजी प्रदान कर रहा है ,उन बॉन्डों को सेबी के लागू निर्देशों और अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जाएगा। अग्रणी प्रबन्धकर्ता /प्रबन्धकर्ता से अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। यदि अग्रणी प्रबन्धकर्ता/ प्रबन्धकर्ता उपलब्ध नहीं हैं तो उधारकर्ता की लागत पर पीएफसी द्वारा नियुक्त एक कानूनी सलाहकार से ऐसा अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा।
- उपर्युक्त नीति के उद्देश्य के लिए बांड गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के स्वरूप में होना चाहिए।

14. एक्सपोजर

इस योजना के अंतर्गत धन को ओपीएस और पीएफसी के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार सीमित किया जाएगा।

15. पीएफसी के ऋण का पुन: वित्तपोषण

बांड आय, जिसके लिए पीएफसी ,पीसीजी प्रदान करेगा ,का उपयोग पीएफसी के ऋण के पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाए। उन मामलों ,जहां पीएफसी के बकाया ऋण को भी पुनः वित्तपोषित किया जा रहा है ,को परिपक्वता पूर्व चुकौती ,प्रभार की सीडिंग इत्यादि स्वीकार करने के संबंध में मौजूदा नीतियों के अनुसार निपटाया जाएगा।

नोट: उपर्युक्त नीति के उद्देश्य के लिए बांड में कंपनी अधिनियम,1956 के अर्थ के भीतर डिबेंचर के रूप में माना गया, साधन भी शामिल होगा।